



2026:AHC: 170070

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5083/2024

लालजी पटेल और 2 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: हरि शंकर, शिव विलास मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव विलास मिश्रा और राज्य प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, चित्रकूट द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 106 वर्ष 2016 (राज्य बनाम लालजी और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 971 वर्ष 2015, धारा 452, 323, 325, 504 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)10 से उत्पन्न हुआ है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.04.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपीलार्थियों को दोषमुक्त करते हुए और निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए :-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



i. अपीलार्थियों को धारा 323/34 भा.द.सं. के अंतर्गत पहले ही काटी जा चुकी सजा के साथ 1,000/- रुपये का जुर्माना। जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में, एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

ii. अपीलार्थियों को धारा 325/34 भा.द.सं. के अंतर्गत 3,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

iii. धारा 452 भा.द.सं. के अंतर्गत 3,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में छह महीने का और अतिरिक्त कठोर कारावास।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने 16.11.2015 को पुलिस स्टेशन कोतवाली कर्वी में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिला पंचायत चुनाव में राज बाबू, धीरेंद्र और मनोज को वोट न देने के कारण, अभियुक्तों ने पहले उसके और उसकी मां के साथ मारपीट की थी। उक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को भी सूचना दी गई थी। यह आगे आरोप लगाया गया है कि 11.11.2015 को रात लगभग 10 बजे, जब शिकायतकर्ता अपनी दुकान पर बैठा था, अभियुक्त लाठियों से लैस होकर वहां आए, जाति-संबंधित गालियां दीं, वे दुकान से बाहर भागे और लाठी-डंडों से उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोटें आईं और उसकी पीठ तथा पैरों पर भी चोटें आईं।

4. लिखित रिपोर्ट के आधार पर, मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और विवेचना पूरी होने के पश्चात, अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 452, 323, 325/34, 504 और 506 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(10) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

5. अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया।

6. अपने प्रकरण के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-1 सुरेंद्र, पी.डब्ल्यू.-2 सुकरिया, पी.डब्ल्यू.-3 सुहागिया, पी.डब्ल्यू.-4 कली दीन, पी.डब्ल्यू.-5 राजेश कुमार तिवारी, पी.डब्ल्यू.-6 प्रमोद कुमार और पी.डब्ल्यू.-7 मनी राम को परीक्षित कराया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. अभियोजन पक्ष ने लिखित रिपोर्ट, चीक एफ.आई.आर., जीडी प्रविष्टि, साइट प्लान, आरोप-पत्र, चिकित्सीय रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट आदि भी प्रस्तुत किया। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन गवाहों द्वारा विधिवत साबित किए गए और प्रदर्श के रूप में चिह्नित किए गए।

8. पी.डब्ल्यू.-1 सुरेंद्र (शिकायतकर्ता) ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। उसने कहा है कि अभियुक्त उसकी दुकान पर आए और उसे बाहर खींच लिया तथा लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की और उसे चोटें पहुंचाईं। उसकी गवाही को पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की गवाहियों से तात्त्विक संपुष्टि प्राप्त होती है।

9. चिकित्सीय साक्ष्य भी घटना का समर्थन करता है। शिकायतकर्ता की चिकित्सीय रिपोर्ट में उसके शरीर पर तीन चोटों का खुलासा हुआ, जिनमें से कुछ के संबंध में एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। पी.डब्ल्यू.-6 डॉ. प्रमोद कुमार ने चिकित्सीय साक्ष्य और तदनुरूप चोट रिपोर्ट को विधिवत साबित किया।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश पर इस आधार पर प्रहार किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया और यह कि निर्णय न्यायिक मन के अनुप्रयोग के बिना यांत्रिक रूप से सुनाया गया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत है और साक्ष्य के विपरीत है और यह कि अपीलार्थियों पर अधिरोपित सजा अत्यधिक है।

11. विद्वान ए.जी.ए. ने दोषसिद्धि के निर्णय का समर्थन किया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्थापित किया है और तदनुसार उन्होंने अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना किया।

12. हालांकि, कार्यवाहियों के दौरान, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घटना वर्ष 2015 से संबंधित है और घटना को काफी समय बीत चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थियों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और उनके विरुद्ध किसी पूर्व दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वह दोषसिद्धि के गुण-दोष पर अपील पर जोर नहीं देना चाहते हैं और उन्होंने अपना अभिवेदन सजा के प्रश्न तक सीमित रखा। इस तथ्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी पहली बार अपराध करने वाले हैं, उन्हें परीक्षा का लाभ देने के लिए प्रार्थना की गई।

13. विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि दोषसिद्धि का निर्णय उचित था, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि अपीलार्थियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और कहा कि अपीलार्थियों को परीक्षा का लाभ दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

14. इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की सत्यता तथा विधिकता की जांच करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया है।

15. पी.डब्ल्यू.-1 सुरेंद्र (शिकायतकर्ता) का बयान स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि घटना की तिथि और समय पर अपीलार्थी लाठी-डंडों से लैस होकर उसकी दुकान पर आए, गाली-गलौज की और उसे दुकान से बाहर खींच लिया, तथा उसके साथ मारपीट की। उसने विशेष रूप से अपीलार्थियों की भागीदारी बताई है और उस तरीके का वर्णन किया है जिसमें उसके साथ मारपीट की गई है।

16. पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही की संपुष्टि अन्य अभियोजन गवाहों, अर्थात् पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 से होती है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकित्सीय साक्ष्य मारपीट के तथ्य को स्वतंत्र संपुष्टि प्रदान करता है। शिकायतकर्ता के शरीर पर तीन चोटें पाई गईं। पी.डब्ल्यू.-6 डॉ. प्रमोद कुमार द्वारा साबित की गई चोट रिपोर्ट अभियोजन के प्रकरण को बल प्रदान करती है। शिकायतकर्ता के शरीर पर पाई गई चोटें अभियोजन के इस संस्करण के अनुरूप पाई गईं कि उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई थी। पी.डब्ल्यू.-7 डॉ. मनी राम की देखरेख में किए गए एक्स-रे परीक्षण में यह दर्शाया गया है कि शिकायतकर्ता के दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। एक्स-रे और पी.डब्ल्यू.-7 की गवाही भी गंभीर चोट के आरोप के संबंध में अभियोजन के प्रकरण को बल प्रदान करते हैं।

17. संपूर्ण साक्ष्य के संचयी मूल्यांकन पर, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थियों ने घटना में भाग लिया और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य जिसके लिए अपीलार्थियों को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दोषसिद्ध किया गया है, उसमें धारा 325 भा.द.सं. के दायरे में आने वाला अपराध भी शामिल है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और उन्हें विकृत या मन के गैर-अनुप्रयोग पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष मौखिक, दस्तावेजी और चिकित्सीय साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं और किसी भी विकृति या तात्त्विक अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं।

18. इसलिए, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसे एतद्वारा पुष्ट किया जाता है।

19. विचारार्थ उठने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी परीक्षा के लाभ के हकदार हैं। यह घटना वर्ष 2015 में हुई थी और दस वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और तब से अपीलार्थियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि नहीं है। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं।

20. जहां तक अपीलार्थी को अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देने का प्रश्न है, विधिक स्थिति और प्रतिपादित विधि पर चर्चा करना आवश्यक है। इस संबंध में, अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 नीचे उद्धृत है :-

"4. अच्छे आचरण की परीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति.-(1) जब कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले किसी अपराध को करने का दोषी पाया जाता है और वह न्यायालय, जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, की यह राय है कि, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, उसे अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तब, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे एक बार में कोई सजा देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, के लिए, जैसा न्यायालय निर्देश दे, उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए जमानतदार सहित या उसके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा किया जाए, और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण रखे: बशर्ते कि न्यायालय किसी अपराधी को तब तक ऐसा रिहा करने का निर्देश नहीं देगा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो कि अपराधी या उसके जमानतदार, यदि कोई हो, का उस स्थान पर जहाँ न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बंधपत्र निष्पादित करता है, निवास का एक निश्चित स्थान या नियमित व्यवसाय है।"

21. ऐसा ही एक प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में भी है, जहाँ धारा 360 प्रावधान करती है :-

"धारा 360- अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात रिहा करने का आदेश :-

जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, या जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति या कोई स्त्री मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराई जाती है, और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है, यदि उस न्यायालय के समक्ष, जिसके द्वारा वह सिद्धदोष ठहराया गया है, अपराधी की आयु, चरित्र या पूर्ववृत्त तथा उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें अपराध किया गया था, यह प्रतीत होता है कि अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो न्यायालय उसे एक बार में कोई सजा देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे ऐसी अवधि (जो तीन वर्ष से अधिक न हो) के लिए, जैसा न्यायालय निर्देश दे, उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए जमानतदार सहित या उसके बिना बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा किया जाए और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण रखे; बशर्ते कि जहां कोई प्रथम अपराधी उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त न किए गए द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है, और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वह उस आशय की अपनी राय दर्ज करेगा, और कार्यवाही को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा तथा अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा या उसकी उपस्थिति के लिए जमानत लेगा, जो उप-धारा (2) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले का निपटारा करेगा।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, घटना वर्ष 2015 की है। अपीलार्थियों ने लंबी अवधि तक विचारण और अपील की प्रक्रिया का सामना किया है। विचारण और अपील के लंबित रहने के दौरान दुराचार के संबंध में कोई प्रतिकूल सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को अपीलार्थियों को कारावास में भेजने के बजाय अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधानों का आह्वान करना उचित प्रतीत होता है।

23. अपीलार्थियों, अर्थात् **लालजी पटेल, मनोज कुमार और धीरेन्द्र कुमार** को एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे आचरण पर परीवीक्षा पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है तथा उन्हें संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्रों के साथ-साथ प्रत्येक 20,000/- रुपये की दो जमानतदार और इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि वे आज से एक वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा आचरण बनाए रखेंगे। वे इस अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगे और किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, परीवीक्षा का लाभ रद्द हो जाएगा और अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मूल सजा भुगतनी होगी।

24. उक्त बंधपत्र इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपीलार्थियों द्वारा दाखिल किए जाने हैं।

25. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया जाएगा और उन्हें दी गई सजा भुगतनी होगी।

26. उपर्युक्त संशोधन के साथ, तात्कालिक आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

27. अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को भी आदेश की एक प्रमाणित प्रति भेजी जाए। विचारण न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेज दिया जाए।

13 अगस्त, 2026

देव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

Translated Versionn. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”